सं0सं0 7/विविध–28–01/2026–27– 160(7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

पटना, दिनाक– 13/05/2026

विषयः– **पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एव 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से रू0 99,00,00,000/–(रूपये निन्यानवे करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06 12 2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणो मे, 250 एम0बी0बी0एस0 नामाकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पॉच हजार पॉच सौ चालीस करोड सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश/आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2018–19	5,00,00,000/–	स0–88(1)ब0, दिनाक–08 01 2019
2	2019–20	200,00,00,000/–	स0–1360(1) दिनाक–03 10 2019
3	2020–21	69,54,00,000/–	स0–252(1), दिनांक–10 03 2021
4	2021–22	82,50,00,000/–	स0–409(1), दिनाक–16 06.2021
5	2021–22	58,45,00,000/–	सं0–389(7), दिनाक–11 03 2022
6	2022–23	50,00,00,000/–	सं0–89(7), दिनाक–30 06 2022
7	2022–23	4,30,57,00,000/–	सं0–290(7), दिनांक–24 11 2022
8	2023–24	61,00,00,000/–	स0–196(7), दिनाक–28 08 2023
9	2023–24	9,22,00,000/–	स0–390(7), दिनाक–03 01 2024
10	2023–24	29,12,70,000/–	स0–640(7), दिनाक–14 03 2024
11	2024–25	24,00,00,000/–	स0–82(7), दिनाक–25 06 2024
12	2024–25	2,10,00,00,000/–	स0–154(7), दिनाक–29.08 2024
13	2024–25	2,12,77,00,000/–	स0–303(7), दिनाक–20 12 2024
14	2024–25	30,00,00,000/–	स0–497(7), दिनाक–10 03 2025
15	2025–26	75,00,00,000/–	स0–215(7), दिनाक–18 08 2025
16	2025–26	40,00,00,000/–	स0–351(7), दिनाक–06 10 2025
17	2025–26	30,00,00,000/–	स0–394(7), दिनाक–05 11 2025
18	2025–26	50,00,00,000/–	स0–422(7), दिनाक–03 12 2025
19	2025–26	65,00,00,000/–	स0–32(7A), दिनाक–28 01 2026
19	2025–26	2,75,00,00,000/–	स0–122(7A), दिनाक–20 03 2026
कुल योग–		**20,07,17,70,000/–**	

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणो मे, 250 एम0बी0बी0एस0 नामाकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के रूप मे पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रू0 5540,07,00,000/– (रुपये पॉच हजार पॉच सौ चालीस करोड सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 मे राज्य योजना मद से रू0 99,00,00,000/–(रूपये निन्यानवे करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे वर्तमान वित्तीय वर्ष मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

5– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–1377(1), दिनांक–06 12.2018 में निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06 05 06, 2938/वि0(2), एव दिनाक–08 04 08 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्यययन पदाधिकारी होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

13-5-26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:– 7/विविध–28–01/2026–27– 160 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/05/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव सभी सबंधित को यथाशीघ्र ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

160 7A
13/05/2026

13.5.26

सरकार के अपर सचिव।